रेल दावा अधिकरण, नागपुर पीठ, नागपुर के समक्ष

कोरम : **श्री संजीव अग्रवाल, माननीय सदस्य (न्यायिक)**
श्री सैयद निशात अली, माननीय सदस्य (तकनीकी)

दावा आवेदन संख्या – ओए।।(यू)/एनजीपी/81/2022

दावा दर्ज करने की तिथि – 09.12.2022
निर्णय तिथि – 12.12.2023

वादी :

1. श्रीमती सुरिन्दर कौर पत्नी गुरविन्दरसिंह वाधवा
उम्र 53 वर्ष, व्यवसाय – गृहिणी

2. समनदीप सिंह सुपुत्र गुरविन्दरसिंह वाधवा
उम्र 29 वर्ष, व्यवसाय – नौकरी

3. तन्वीप्रीत कौर सुपुत्री गुरविन्दरसिंह वाधवा
उम्र 23 वर्ष, व्यवसाय – शिक्षा

4. श्रेया प्रीत कौर सुपुत्री गुरविन्दरसिंह वाधवा
उम्र 22 वर्ष, व्यवसाय – शिक्षा

सभी निवासी – 60/1, मोती बाजार, देहरादून,
उत्तराखंड – 248001

बनाम

प्रतिवादी : भारत संघ
द्वारा महाप्रबंधक
दक्षिण मध्य रेल, सिकंदराबाद

दावे की राशि रु.8,00,000/–

निर्णय

आवेदकों की ओर से अधिवक्ता डी. लांबट
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता एस. मेंदीरत्ता

आवेदकों ने यह दावा गुरविन्दरसिंह सुपुत्र सुरजीतसिंह वाधवा, उम्र 56 वर्ष की अनपेक्षित दुर्घटना में हुई मृत्यु के कारण मृतक की पत्नी, पुत्र एवं पुत्रियां तथा मृतक के आश्रित होने के नाते प्रतिवादी रेलवे के विरूद्ध रेल दावा अधिकरण अधिनियम की धारा 16 के तहत इस अधिकरण में दाखिल किया है और प्रतिवादी से रु.8.00 लाख के मुआवजे की मांग की है।

1. **दावा आवेदन के अनुसार दुर्घटना के मुख्य अंश** :–

क. दुर्घटना की तिथि : 11.07.2022

ख. मृतक का नाम : गुरविन्दरसिंह सुपुत्र सुरजीतसिंह वाधवा

ग.	आवेदकों का मृतक के साथ रिश्ता	:	आवेदिका क्र.1 मृतक की पत्नी, आवेदक क्र.2 मृतक का पुत्र एवं आवेदिका क्र.3 एवं 4 मृतक की पुत्रियां हैं।
घ.	ट्रेन एवं यात्रा का विवरण	:	मृतक दिनांक 11.07.2022 को नांदेड़ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई की यात्रा आरक्षित यात्रा टिकट, जिसका पीएनआर क्र. 475–3478646, किराया रु.1385/– खरीदकर ट्रेन क्र.17611 राज्यरानी एक्सप्रेस से कर रहा था।
ड.	संक्षिप्त में घटना का विवरण	:	यात्रा के दौरान दिनांक 11.07.2022 एवं 12.07. 2022 की मध्यरात्रि में ट्रेन के अचानक झटके की वजह से मृतक घटनास्थल कि.मी. 195/5 कोडी रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल होकर मृत हो गया। आवेदकों ने कथित घटना को अनपेक्षित दुर्घटना बताकर प्रतिवादी रेलवे से मुआवजे की मांग की है और अधिकरण के समक्ष यह दावा आवेदन दाखिल किया है।
च.	अधिकरण का क्षेत्राधिकार	:	घटनास्थल अधिकरण के क्षेत्राधिकार में आता है।

2. **जवाब के मुख्य अंश** :

अ. प्रतिवादी रेलवे का लिखित कथन में कहना है कि कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। प्रतिवादी रेलवे ने लिखित कथन में इस तथ्य को मानने से इंकार किया कि मृतक ट्रेन क्र.17611 राज्यरानी एक्सप्रेस का वास्तविक यात्री था और वह चलती ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल होकर मृत हो गया था। प्रतिवादी रेलवे का कहना है कि पंचनामा के दौरान घटनास्थल से अल्कोहल की गंध वाली एक बोतल बरामद हुई थी जिससे यह प्रतीत होता है कि कथित घटना के समय मृतक नशे की हालत में था और यह घटना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124–ए (डी) के तहत अपवाद में आती है। अतः इन परिस्थितियों में आवेदक मुआवजा प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

ब. **डीआरएम रिपोर्ट का सार** :– डीआरएम रिपोर्ट में प्रतिवादी रेलवे का कहना है कि रेल ट्रेक यातायात के लिए फिट था इसीलिए घटनास्थल पर ट्रेन में झटका लगने की कोई संभावना नहीं है। रात के समय ए.सी. कोच के दरवाजे बंद रहते हैं और किसी के बाहर गिरने की संभावना नहीं है। घटना को कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। दावाकर्ताओं ने झूठा मामला दाखिल किया है तथा कथित घटना में रेल प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

स. **ट्रायल के दौरान किए गए प्रतिवाद या डीआरएम रिपोर्ट से भिन्न तथ्य** :– कुछ नहीं

3. **मिसाल के तौर पर प्रस्तुत किए गए मामले एवं उनका अंश** : कुछ नहीं

4. **प्रस्तुत की गई गवाही का विवरण :–**

आवेदक क्र.2 समनदीपसिंह सुपुत्र गुरविन्दरसिंह वाधवा की गवाही ए.डब्ल्यू–1 के तौर पर पेश की गई एवं दस्तावेज ए–1 से ए–24 चिन्हित किए गए। आवेदक ने शपथपत्र ए.डब्ल्यू.–1 प्रस्तुत किया। प्रतिवादी रेलवे द्वारा विभिन्न दस्तावेजों सहित डीआरएम रिपोर्ट दाखिल की गई।

5. **निर्धारित किए गए मुद्दे एवं मुद्दों पर विचार कर लिया गया निर्णय** :

दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर निर्धारित किए गए मुद्दे :–

1. क्या आवेदक रेल अधिनियम की धारा 123 (ब) के अनुसार मृतक के आश्रित हैं ?

6. आवेदिका क्र.1 मृतक की पत्नी, आवेदक क्र.2 मृतक का पुत्र एवं आवेदिका क्र.3 एवं 4 मृतक की पुत्रियां हैं। मृतक के माता–पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है। आवेदकों ने रेकार्ड पर मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड दाखिल किया है। इसके साथ ही सभी आवेदकों के आधार कार्ड तथा आवेदक क्र.2, 3 एवं 4 के पैन कार्ड की प्रतियां भी दाखिल की गई हैं। एक्जीबिट ए–24 पर आवेदकों ने उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र भी दाखिल किया है। उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक रेल अधिनियम की धारा 123 (b) के तहत मृतक के आश्रित हैं। कार्यवाही के दौरान किसी अन्य व्यक्ति ने मृतक के आश्रित के रूप में दावा नहीं किया एवं प्रतिवादी रेलवे ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि आवेदक मृतक के आश्रित नहीं हैं। तद्नुसार इस मुद्दे का निर्धारण किया जाता है।

2. क्या मृतक संबंधित तिथि को वैध यात्रा टिकट के साथ कथित ट्रेन का वास्तविक यात्री था ?

7. आवेदकों ने एक्जीबिट ए–1 पर ट्रेन क्र.17611 राज्यरानी एक्सप्रेस से नांदेड़ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई की यात्रा के लिए मृतक की आरक्षित यात्रा टिकट, जिसका पीएनआर क्र.475–3478646, किराया रु.1385/– की मूल प्रति रेकार्ड पर दाखिल की है। घटनास्थल पंचनामा एक्जीबिट ए–4 में यह स्पष्ट लिखा है कि मृतक के कपड़ों की जेब से एक भूरे रंग का पर्स मिला जिसके अंदर नांदेड़ से सीएसटीएम की उक्त यात्रा टिकट बरामद की गई थी। प्रतिवादी रेलवे द्वारा दाखिल की गई डीआरएम रिपोर्ट में प्रतिवादी रेलवे ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मृतक के पास रेलवे का टिकट था। डीआरएम रिपोर्ट के साथ पृष्ठ क्रमांक 93–94 पर उक्त टिकट के सत्यापन एवं अन्य विवरण का रेकार्ड दाखिल किया गया है। उक्त विवरण से एवं वैध रेल टिकट की उपलब्धता से यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतक उक्त यात्रा टिकट के साथ एक अधिकृत यात्री के नाते यात्रा कर रहा था। अतः यह मुद्दा आवेदकों के पक्ष में उत्तरित किया जाता है।

3. क्या मृतक की मृत्यु रेल अधिनियम की धारा 124–ए (धारा 123(सी) के साथ पठित) के अनुसार दावा आवेदन में अभिकथित अनपेक्षित दुर्घटना की वजह से हुई ?

8. दावा आवेदन के अनुसार मृतक दिनांक 11.07.2022 को नांदेड़ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई की यात्रा ट्रेन क्र.17611 राज्यरानी एक्सप्रेस से कर रहा था। यात्रा के

दौरान दिनांक 11.07.2022 एवं 12.07.2022 की मध्यरात्रि में ट्रेन के अचानक झटके की वजह से मृतक घटनास्थल कि.मी. 195/5 कोडी रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल होकर मृत हो गया। आवेदकों ने कथित घटना को अनपेक्षित दुर्घटना बताकर प्रतिवादी रेलवे से मुआवजे की मांग की है और अधिकरण के समक्ष यह दावा आवेदन दाखिल किया है।

9. आवेदक समनदीपसिंह सुपुत्र गुरविन्दरसिंह, ए.डब्ल्यू–1 ने प्रति–परीक्षण में बताया कि उसने मृतक को टिकट खरीदते हुए एवं ट्रेन में सवार होते हुए नहीं देखा। वह मृतक के साथ यात्रा नहीं कर रहा था और न ही वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है। ए.डब्ल्यू.1 ने इस बात को मानने से इंकार किया कि उसके मृतक पिता 15–20 साल से शराब के आदी थे एवं घटना के समय उसके मृतक पिता नशे में थे।

10. प्रतिवादी रेलवे का कहना है कि घटनास्थल पर ट्रेन में झटका लगने की कोई संभावना नहीं थी। रात के समय ए.सी. कोच के दरवाजे बंद रहते हैं और किसी के बाहर गिरने की संभावना नहीं होती। घटना को कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी नहीं है। पंचनामा के दौरान घटनास्थल से अल्कोहल की गंध वाली एक बोतल बरामद हुई थी जिससे यह प्रतीत होता है कि कथित घटना के समय मृतक नशे की हालत में था अतः यह घटना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124–ए (डी) के तहत अपवाद में आती है। अतः इन परिस्थितियों में आवेदक मुआवजा प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। परंतु प्रतिवादी रेलवे के प्रतिवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी रेलवे ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि घटनास्थल पर बरामद बोतल मृतक की थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार भी मृतक के पेट से अल्कोहल नहीं मिला। घटनास्थल पंचनामा एक्जीबिट ए–4 में पुलिस एवं पंचों ने यह मत व्यक्त किया है कि मृतक किसी चलती ट्रेन से गिरने की वजह से गंभीर रूप से जख्मी होकर मृत हो गया। मृतक वैध आरक्षित यात्रा टिकट के साथ यात्रा कर रहा था। मृतक मिड सैक्शन में मृत अवस्था में मिला था। यदि किसी वैध यात्री का मृत शरीर मिड सैक्शन में मिले तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी मृत्यु ट्रेन से गिरने की वजह से हुई है। इन परिस्थितियों में यह स्वीकार किया जा सकता है कि मृतक की मृत्यु चलती ट्रेन से गिरकर अनपेक्षित दुर्घटना में हुई थी। अतः यह मुद्दा आवेदकों के पक्ष में उत्तरित किया जाता है.

4. राहत ?

11. मुद्दा क्र.1 में यह साबित हो गया है कि आवेदक मृतक के आश्रित हैं एवं मुद्दा क्र.2 एवं 3 में यह भी साबित हो गया है कि मृतक एक अधिकृत यात्री था और उसकी मृत्यु अनपेक्षित दुर्घटना में हुई थी, अतः आवेदक मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः इस मामले में निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

12. यह दावा आवेदकों के पक्ष में निर्णीत किया जाता है। आवेदकों को रु.8,00,000/– (रु. आठ लाख मात्र) का मुआवजा देने का आदेश दिया जाता है। आवेदकों को दुर्घटना की तिथि से इस आदेश की तिथि तक मुआवजा राशि पर 6% साधारण ब्याज की दर से ब्याज भी प्रदान किया जाता है। प्रतिवादी रेलवे को मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है। प्रतिवादी रेलवे मुआवजा राशि का भुगतान इस आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर करेगा। यदि प्रतिवादी रेलवे 30 दिनों के भीतर आवेदकों को मुआवजा राशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो आवेदक उनकी मुआवजा राशि पर इस आदेश की तिथि से भुगतान की तिथि

तक 9% प्रतिवर्ष की दर से आगे का ब्याज (Future Interest) प्राप्त करने के हकदार होंगे। मुआवजा राशि का वितरण निम्नानुसार है।

आवेदक का नाम	मुआवजा राशि	मुआवजा राशि का विवरण	
		नकद राशि	एन्यूटी राशि / सावधि जमा राशि
श्रीमती सुरिन्दर कौर पत्नी गुरविन्दरसिंह वाधवा	5,00,000 / –	50,000 / – + ब्याज	4,50,000 / –
समनदीप सिंह सुपुत्र गुरविन्दरसिंह वाधवा	1,00,000 / –	10,000 / – + ब्याज	90,000 / –
तन्वीप्रीत कौर सुपुत्री गुरविन्दरसिंह वाधवा	1,00,000 / –	10,000 / – + ब्याज	90,000 / –
श्रेया प्रीत कौर सुपुत्री गुरविन्दरसिंह वाधवा	1,00,000 / –	10,000 / – + ब्याज	90,000 / –

13. जहाँ तक मुआवजे की राशि के वितरण का प्रश्न है, हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना। गीता देवी बनाम भारत संघ (एफ.ए.ओ. 22 / 2015 एवं सीएमए 4501 / 2015) दिनांक 24 मई, 2019, मामले में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा निम्न बातों पर गौर कर आदेश पारित किया गया :–

> 5. As Regards Amendment to the Railway Accidents and Untoward Incidents (Compensation) Rules, 1990
>
> 1.1 Many of the claimants are drawn from rural areas with low levels of literacy and lower levels of making appropriate decision for the use of amounts guaranteed under the awards. There are several instances of their exploitation by middlemen and touts operating in the field. The scope for such exploitation is itself one of the incentives for fomenting bogus claims, fabricated documents and duplicate claims in different Benches of the Tribunal for the same cause of action. The availability of bulk funds in the name of an ill-informed claimant is also a cause for exploitation. A scheme for protection of the amount due to such a claimant is the need of the hour. Earlier, this Court has involved 21 Nationalised Banks in dialogue to evolve a scheme of annuities for disbursement of claims. They have been ordered already to be implemented in this case, vide directions passed on 22nd February, 2019. This scheme as applied to motor accident claims has been approved by the Supreme Court in its order dated 05 th March, 2019 in Krishnamurthi v New India Insurance Company, SLP (C) No.31521-31522 OF 2017. A statutory rule backing will, therefore, best serve the interest of litigant….."

14. माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित किए गए आदेश के अनुपालन में भारत सरकार ने दिनांक 3 जून 2020 को अधिसूचना क्र.जीएसआर (ई) 347 जारी करते हुए रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5 को संशोधित किया जो निम्नानुसार हैः–

"5. Mode of Payment -

5.1 The Tribunal may, in order to protect the sum awarded to the claimant, having due regard to the illiteracy or other disabling factors impairing the judicious use of such sum, issue directions for disbursing the award in terms of annuities, fixed deposits or other suitable mode as shall subserve justice.

5.2 If any of the claimants is a minor or person of unsound mind, the Tribunal may give liberty to the guardian ad litem to use the interest accruals on the deposit that shall be made during the minority for maintenance.

5.3 Nothing in this rule shall limit the power of the Tribunal to make modifications of the mode of disbursal for reasons to be stated in writing depending on the exigencies requiring liquidation of any corpus created for annuity or premature closure of fixed deposit, for the benefit of the claimant.

5.4 The orders dated 21st April, 2017, 24th May, 2019 and 06th November, 2019 of Hon'ble High Court of Delhi in FAO No. 22/2015 and CM Application No. 4501/2015 in Geeta Devi Vs Union of India, relating to disbursement of compensation shall be read as part of this rule.

15. अतः दिनांक 03 जून 2020 के नोटिफिकेशन के अंतर्गत संशोधित रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5 के अनुपालन के अनुसार वर्तमान केस में मुआवजा राशि का वितरण निम्नानुसार किया जाता हैः–

16. प्रतिवादी रेलवे को निर्देश दिया जाता है कि वह ब्याज सहित मुआवजा राशि को अपर निबंधक द्वारा संचालित रेल दावा अधिकरण, नागपुर के स्युटर मनी (Suitors Money) एकाउंट में इस आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर जमा करे। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी रेलवे ब्याज सहित मुआवजा राशि को जमा करते समय भुगतान का पूर्ण विवरण जैसे यू.टी.आर नंबर, ब्याज की गणना सहित प्रत्येक आवेदक के मुआवजा राशि का हिस्सा इत्यादि की सूचना पंजीकृत डाक से आवेदकों को देगा एवं इसकी एक प्रति अपर निबंधक और आवेदक के अधिवक्ता को भी देगा।

17. आवेदकों को प्रदान की गई मुआवजा राशि में से 10% एवं ब्याज की राशि को उनके बचत बैंक खातों में ईसीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा किया जाएगा। आवेदिका क्र.1 की शेष मुआवजा राशि को रु.10,000/– के 45 (पैंतालिस) समान भागों में एफ.डी. में विभाजित कर एक से पैंतालिस माह की अवधि के लिए बढ़ते क्रम में निवेश किया जाएगा। बैंक द्वारा प्रतिमाह एक मासिक जमा राशि + संचयी ब्याज की एक एफ.डी. को क्रमानुसार आवेदिका क्र.1 के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। आवेदक क्र. 2, 3 एवं 4 प्रत्येक की शेष मुआवजा राशि को रु.10,000/– के 9 (नौ) समान भागों में एफ.डी. में विभाजित कर एक से नौ माह की अवधि के लिए बढ़ते क्रम में निवेश किया जाएगा। बैंक द्वारा प्रतिमाह एक मासिक जमा राशि + संचयी ब्याज की एक एफ.डी. को क्रमानुसार आवेदक क्र.1, 2 एवं 3 प्रत्येक के बैंक खातों में जमा किया जाएगा।

18. प्रत्येक आवेदक को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने निवास स्थान के निकट स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते का विवरण इस अधिकरण के अपर निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करे।

19. यदि आवेदक टीडीएस कटौती की छूट के हकदार हैं तो वह फार्म 15–जी या फार्म 15–एच (वरिष्ठ नागरिक) को इस आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के समक्ष जमा करें एवं इस स्थिति में मुआवजा राशि से किसी भी प्रकार के टीडीएस की कटौती नहीं की जाएगी।

20. जीएसआर 347 (ई) दिनांक 03 जून 2020 के अनुसार संशोधित रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5.4.4 के अनुपालन हेतु सावधि जमा के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएः–

i. आवेदक के बचत खाते या सावधि जमा खाते पर बैंक किसी भी संयुक्त खाते की अनुमति नहीं देगा।
ii. इस अधिकरण की अनुमति के बिना आवेदकों की सावधि जमा पर किसी भी प्रकार का लोन, अग्रिम, समय पूर्व भुगतान नहीं होगा।
iii. बैंक आवेदकों को किसी भी प्रकार की चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारी नही करेगा। यद्यपि चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड पहले से जारी किया गया हो तो मुआवजा राशि के भुगतान के पूर्व उसे निरस्त करेगा।
iv. बैंक आवेदकों की पासबुक पर यह प्रविष्टि करेगा कि आवेदकों को चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं और अधिकरण की अनुमति के बिना जारी नहीं किए जाएंगे। आवेदक उक्त प्रविष्ठि के साथ बैंक की पासबुक इस अधिकरण के अपर निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

21. उपरोक्त आदेशानुसार इस दावे को मंजूर किया जाता है। तथापि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

दिनांक 12.12.2023 को खुले कोर्ट में अधिघोषित किया गया।

दावा फाईल अभिलेख विभाग को सुपुर्द की जाए।

(सैयद निशात अलि)
सदस्य (तकनीकी)

(संजीव अग्रवाल)
सदस्य (न्यायिक)

नागपुर.
दिनांक : 12.12.2023

/डीके/